संख्याः 55/2022/1818 ई–2/तेरह–2022–01/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 04 नवम्बर, 2022

विषयः वर्ष 2022–23 के लिए शीरा नीति के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया आगामी शीरा नीति वर्ष 2022–23 के लिए सुझाव विषयक आपके पत्र संख्याःजी–60/दस–185/शीरा नीति/2022– 23, दिनांक 7–10–2022 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2022–23 के लिए शीरा नीति प्रस्तर–5 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार निर्धारित की जाती है।

2. **उद्देश्यः–** प्रत्येक वर्ष के 01 नवम्बर से आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक की अवधि शीरा वर्ष कहलाती है तथा उक्त अवधि के लिए प्रतिवर्ष शीरा नीति निर्धारित की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शीरे के वार्षिक उत्पादन का इस प्रकार उचित प्रबन्धन किया जाए ताकि उससे सस्ती दरों पर देशी मदिरा का मानक के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके साथ ही विभिन्न हितधारकों, अर्थात– चीनी मिलों, मदिरा उत्पादनकर्ताओं व उपभोक्ताओं के समग्र हित सुनिश्चित रहें। इससे चीनी मिलों को उनके द्वारा उत्पादित शीरे में से सुनिश्चित मात्रा के विपणन के अवसर प्राप्त होते हैं और आसवनियों को मदिरा उत्पादन के लिए अधिकृत स्रोत से शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित होती है जो अन्ततः राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में सहायक सिद्ध होती है।

3. **प्रयोजनः–** उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादित शीरे से विभिन्न प्रकार के अल्कोहल यथा– रेक्टीफाइड स्प्रिट, ई.एन.ए.,(एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) ग्रीन फ्यूल एथनॉल, विशेष विकृत सुरा, मदिरा (देशी एवं विदेशी) एच.पी.एल.सी. (हाई परफार्मेंस लिक्विड कोमेटोग्राफी)के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। शीरे से उत्पादित अल्कोहल का प्रयोग आसवनियॉ (पेय मदिरा निर्माणार्थ), पेट्रोलियम डिपो, फार्मेसिया, रासायनिक इकाईयॉ, विभिन्न चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा संस्थानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में किया जाता है। अतएव विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के निर्माण एवं मांगकर्ता इकाईयों की संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बहुत अधिक होती है, जिनकी मांग एवं आपूर्ति का संतुलन बनाये रखा जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त शीरे से उत्पादित अल्कोहल की मांग अधिक होने के कारण शीरे के दुरूपयोग होने की सम्भावना अवैध अल्कोहल के निर्माण एवं बिक्री के रूप में सदैव बनी रहती है। इस कारण से प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों में उत्पादित शीरे को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है, ताकि शीरे के उपयोग के आधार पर राजस्वहित में भीरा आधारित विभिन्न ईकाइयों को भीरा उपलब्ध कराया जा सके।

4. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2021–22 में 38 चीनी मिलें बन्द तथा 120 चीनी मिलें कार्यरत रहीं हैं।

5. **वर्ष 2022–23 के लिए शीरा नीतिः–**

5.1 **शीरा वर्ष 2022–23 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरणः–**

5.1.1 प्रत्येक चीनी मिल अथवा समूह द्वारा शीरा वर्ष 2022–23 में पेरे जाने वाले गन्ने से सी–हैवी शीरा के टर्म में कुल आगणित शीरा उत्पादन के 20 प्रतिशत अंश को आरक्षित शीरे के रूप में सम्भरित कराना अनिवार्य होगा।

चीनी मिलों द्वारा निर्धारित आरक्षित शीरे की आपूर्ति हेतु सी–हैवी शीरे का उत्पादन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश वांछित मात्रा में सी–हैवी शीरे का उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में निर्धारित सी–हैवी आरक्षित शीरे की आपूर्ति उसके समतुल्य बी–हैवी शीरा अथवा ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) द्वारा करना होगा।

यदि कोई चीनी मिल अथवा समूह केवल बी–हैवी शीरे का अथवा बी–हैवी और सी–हैवी दोनों प्रकार के शीरे का उत्पादन करती है, तो बी–हैवी शीरे की उत्पादित मात्रा को सी–हैवी शीरे में बदलकर कुल शीरा उत्पादन का आगणन सी–हैवी शीरे के टर्म में किया जायेगा तथा इस प्रकार आगणित होने वाली कुल मात्रा के आधार पर चीनी मिल अथवा समूह द्वारा 20 प्रतिशत सी–हैवी शीरा, देशी मदिरा हेतु आपूर्ति किया जायेगा। चीनी मिल द्वारा की गयी गन्ना पेराई पर सी–हैवी के टर्म में कुल शीरा उत्पादन की गणना 4.59 प्रतिशत शीरा रिकवरी के आधार पर की जायेगी।

यदि कोई चीनी मिल अथवा समूह देशी मदिरा हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा बी–हैवी शीरे के टर्म में आपूर्ति करना चाहती है, तो एक कुं. सी–हैवी शीरा, 0.73 कुं. बी–हैवी शीरा के समतुल्य अथवा एक कुं. बी–हैवी शीरा, 1.38 कुं. सी–हैवी शीरा के समतुल्य माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अल्कोहल रिकवरी के लिए मानक बी–हैवी शीरा हेतु प्रति कुं. 31 ए.एल. अल्कोहल तथा सी–हैवी शीरा हेतु प्रति कुं. 22.5 ए.एल. अल्कोहल रिकवरी के आधार पर आगणन किया जायेगा।

5.1.2 सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित करेंगी।

5.1.3(अ) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी मॉग गत माह की 7वीं तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी व चीनी मिल द्वारा आसवनी की मॉग पर 10वीं तिथि तक निर्णय लेना होगा तथा उनके द्वारा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) चीनी मिलें आरक्षित शीरे के विक्रय हेतु टेण्डर किये जाने वाले शीरे की मात्रा माह के प्रथम सप्ताह में घोषित करेंगी।

5.1.4 जिन चीनी मिल अथवा समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2021–22 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टाक उपलब्ध है, वे चीनी मिलें अथवा समूह शीरा वर्ष 2022–23 में प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5(अ) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी शराब की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ब) पूर्वांचल जिसमें सम्मिलित गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती तथा विन्ध्याचल मण्डलों में स्थित पेय आसवनियों द्वारा 25 से 30 प्रतिशत देशी शराब की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्वान्चल की इन आसवनियों को समूह की चीनी मिलों द्वारा कम से कम पूर्वांचल स्थित एक चीनी मिल से आरक्षित शीरे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 शीरा वर्ष 2021–22 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह जनवरी, 2023 तक शून्य करना होगा।

5.1.7(अ) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथा स्थिति एवं यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ब) आरक्षण का प्रतिशत घटाने की स्थिति में पुनर्निर्धारित आरक्षित मात्रा से अधिक सम्भरित की गयी आरक्षित शीरे की मात्रा, मूल निर्धारित आरक्षित शीरे की सीमा तक आगामी शीरा वर्ष में आरक्षित शीरा की देयता में समायोजित की जायेगी।

(स) शीरा आवन्टी को शीरा सम्भरण हेतु आवंटन आदेश प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर शीरे का सम्भरण या उठान किया जाना अनिवार्य होगा। तद्नुसार शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के सुसंगत नियमों के प्राविधान में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

(द) शीरा वर्ष 2021–22 में आरक्षित शीरे के सम्भरण हेतु पोर्टल से जारी होने वाली परमिट की वैधता शीरा वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर अर्थात 31 अक्टूबर, 2022 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5.1.8 देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियॉं, तत्समय आसवनी में उपलब्ध आरक्षित शीरे के समायोजन के पश्चात ही आरक्षित शीरा आवंटन हेतु मॉंग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

5.2 वर्ष 2021–22 का अवशेष आरक्षित शीरे की देयता को अग्रेनीत किया जायेगा। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास होना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2021–22 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की अवशेष देयता की अग्रेनीत मात्रा को अनारक्षित अथवा स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2022–23 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2022–23 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध रखा जाय कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28–02–2023 को इस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2022–23 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ–साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2022–23 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टाक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

5.2.1 शीरा वर्ष 2022–23 में उपलब्ध सी–हैवी शीरे की मात्रा के 20 प्रतिशत अंश को आरक्षित किया जाता है। तद्नुरूप चीनी मिलों द्वारा आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात 1:4 का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे का कम से कम 8 प्रतिशत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा तथा प्रचलित शीरा वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में 25 प्रतिशत आरक्षित शीरा सम्भरण कराना बाध्यकारी होगा।

5.2.3 प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक ऑन लाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर अपलोड करेगी। इसकी सूचना पोर्टल द्वारा स्वचालित ई–मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुभाग, मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5.2.4 यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा या मिश्रित या औद्योगिक आसवनी से देशी मदिरा निर्माण के लिए ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) प्राप्तकर्ता इकाई को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा को स्वतः प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में घट जाने तथा आपूर्तक इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में समायोजित किये जाने का सहमति पत्र ई.एन.ए.(एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) क्रय करते समय देंगे। समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा, आपूर्तक आसवनी को अथवा समूह द्वारा नामित समूह की अन्य आसवनी के लिए आरक्षित शीरे में समायोजित हो जायेगी तथा प्राप्तकर्ता ईकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जायेगी।

5.3 अन्य राज्यों या राष्ट्रों को शीरे का निर्यात अथवा उनसे आयातः–

अन्य राज्यों या अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात अथवा उनसे आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में पूर्व में गठित निम्नलिखित समिति को यथावत रखा जाता हैः–

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.आई.बी.)	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव–संयोजक

प्रदेश में शीरे की आवश्यकता के लिये पर्याप्त शीरा उपलब्ध होने पर ही शीरे के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। निर्यात हेतु पूर्व की भॉति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2022–23 में उत्तराखण्ड राज्य की शीरा अथवा अल्कोहल आधारित रसायनिक इकाईयों को 25 लाख कुन्तल शीरे के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

शीरा नीति वर्ष 2022–23 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात अथवा निर्यात करने हेतु शीरा आयातक अथवा निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात अथवा निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात अथवा निर्यात की अनुमति आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्यातक रजिस्टर्ड एवं एक्सपोर्ट लाइसेंसधारक हो तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल से आया हो। देश के बाहर शीरा निर्यात किये जाने का निर्णय प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आव यकता के आधार पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.4 **शीरे पर विनियामक शुल्कः–**

भासनादेश दिनांक 07–01–2022 के अन्तर्गत शीरा वर्ष 2021–22 में शीरे पर विनियामक शुल्क चीनी मिल अपने द्वारा विक्रय, अन्तरण या आपूर्ति किये जाने वाले समस्त प्रकार के शीरे पर रू.20/– प्रति कुं. की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगी तथा प्रदेश में आयात किये जाने वाले शीरे पर आयातक उपरोक्त दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगा, की व्यवस्था वर्ष 2022–23 में भी यथावत रखी जाती है।

5.5 **शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरणः–**

शीरा वर्ष 2022–23 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त किया जाता है। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल अथवा चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तानान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

5.6 **खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रणः–**

खाण्डसारी शीरे से प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण व बिक्री सहित चीनी मिलों का शीरा खाण्डसारी की आड़ में तस्करी करके अन्य राज्यों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2022–23 में खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएग। शीरा नियंत्रण अधिनियम एवं शीरा नियंत्रण नियमावली तथा शासनादेश के अन्तर्गत खाण्डसारी शीरे के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाली अधिसूचना व आदेश प्रभावी माने जायेंगे।

5.7 **शीरे के उठान पर नियंत्रणः–**

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का सम्भरण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा आसवनियों में शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी तथा स्टाक की समस्त सूचनाओं की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से पूर्व की भॉति लागू रहेगी। इस हेतु विभागीय ऑन लाइन पोर्टल पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी. एस.टी.एन. का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5.8 **रूग्ण चीनी मिलों अथवा इकाईयों को छूट या रियायत दिये जाने के सम्बंध मेंः–**

रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित अथवा उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को विनियामक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2022–23 में इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा

Shri Sadan Pandey

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति, छूट या रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.9 शीरे पर आधारित लघु इकाईयॉं, जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में:–

प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अनुसार, शीरा नियंत्रक के स्तर से किया जाना शीरा सत्र 2022–23 में किया जाएगा।

5.10 शीरा नीति में व्यवहारिक परिवर्तन अथवा परिमार्जन:–

शीरा नीति में व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए परिवर्तन अथवा परिमार्जन के मामलों में अनुमति शासन द्वारा मा. आबकारी मंत्री, उ.प्र. के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।

5.11 केन जूस से ऐथनाल निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणन :–

यदि किसी चीनी मिल अथवा समूह द्वारा केन जूस से ऐथनाल का उत्पादन किया जाता है तो केन जूस के उत्पादन हेतु पेरे गये गन्ने के 4.59 प्रतिशत सी–हैवी शीरे की रिकवरी के आधार पर आगणित मात्रा पर 20 प्रतिशत की दर से आरक्षित सी–हैवी शीरा अथवा इसके समतुल्य बी–हैवी शीरा अथवा समतुल्य ई.एन.ए. देय होगा, जिसकी आपूर्ति केन जूस से ऐथनाल उत्पादक चीनी मिल द्वारा स्वयं अथवा समूह की किसी अन्य चीनी मिल द्वारा की जायेगी।

5.12 केन जूस से ई.एन.ए. निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणन:–

सहोदर चीनी मिलें अपनी आसवनियों में केन जून से ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) का निर्माण कर देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को विक्रय कर सकती हैं अथवा स्वयं देशी मदिरा का निर्माण कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में आपूर्ति किये गये ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) के समतुल्य आरक्षित शीरे की गणना निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

(अ) गणनात्मक आरक्षित शीरे की मात्रा = पेरे गये गन्ने की मात्रा (कुं. में) x (4.59 / 100) x सी–हैवी शीरे का आरक्षण का प्रतिशत

(ब) आपूर्ति किये जाने वाले ई.एन.ए. की मात्रा(ए.एल. में) = गणनात्मक आरक्षित शीरा (बिन्दु अ के अनुसार) x 22.5

5.13 बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण:–

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों अथवा आसवनी में संचित बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण हेतु शीरा नीति 2021–22 में अनुमोदित व्यवस्था यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 16–06–2020, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडरों एवं निर्यातकों को 500 कुन्तल तक बिलोग्रेड अथवा जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए, पंजीकृत ट्रेडरों हेतु शीरा के परिवहन एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाने की अनुमति भी प्रदान की गयी थी। आगामी शीरा वर्ष 2022–23 में पंजीकृत ट्रेडरों को शीरा आवंटित किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की वास्तविक शीरा उपभोक्ता इकाईयों, जिनका शीरा उपभोग किये जाने हेतु सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकरण हो, उन्हें एवं प्रदेश में स्थित पशुआहार इकाईयों को बिलोग्रेड शीरा आवंटित किये जाने की व्यवस्था की जाती है, किन्तु बिलोग्रेड शीरे के आवंटन में प्रदेश में स्थित कैटलफीड निर्माता इकाईयों को प्राथमिकता दी जायेगी तत्पश्चात प्रदेश के बाहर पशु आहार निर्माता इकाईयों तथा अन्त में अन्य वास्तविक शीरा उपभोग करने वाली इकाईयों को शीरा आवंटन किया जाएगा।

5.14 **जले शीरे का निस्तारणः–**

प्रदेश की चीनी मिलों अथवा आसवनियों में जले हुए शीरे के निस्तारण की व्यवस्था बिलोग्रेड शीरे की भॉति लागू होगी। जले हुए शीरे को, निर्धारित विनियामक शुल्क का 50 प्रतिशत जमा कर प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आसवनी में प्रयोग कर सकते हैं।

5.15 **शीरा नीति की वैधता अवधिः–**

शीरा नीति 2022–23 तब तक यथावत प्रभावी रखी जाती है जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.16 **शीरे का परिवहनः–**

शीरे के सदुपयोग तथा राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु डिजी लॉक (Digi Lock) एवं जी.पी.एस. युक्त टैंकरों में ही शीरे का परिवहन किया जायेगा।

5.17 **शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की उपभोग क्षमताः–**

भीरा नीति वर्ष 2021–22 में भीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में 100,000 कुन्टल प्रति वर्ष शीरा की मांग वाली इकाईयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है। यह व्यवस्था भीरा नीति वर्ष 2022–23 में भी यथावत लागू रहेगी।

5.18 **चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्धः–**

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगाः–

(1) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भूजल अथवा सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।

(2) चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी, किन्तु यह अनुमति सामान्तयः नहीं प्रदान की जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही संगत नियमों के अन्तर्गत शास्ति रोपण के साथ ही प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।

(4) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

(5) सभी चीनी मिलों द्वारा Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों तथा उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

6. अतः कृपया उपरोक्तानुसार शीरा वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित शीरा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं सर्वसंबंधित को आवश्यक निर्देश तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।